उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. RAJAYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. GOVERNMENT UNDERTAKING)
8th Floor, Shakti Bhawan Extn, Lucknow.
Phone No.0522-2287838, Fax No.0522-2287191
UPRVUNL

पत्रांक 318/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) दिनांकः 03 अगस्त, 2010

कार्यालय ज्ञाप

निगम के कार्यालय ज्ञाप सं0 159 दिनांक 01.07.2010 के द्वारा अनुरक्षण एवं परिचालन मद में मासिक अवमुक्त राशि मद में वृद्धि इस निर्देश के साथ की गई है कि परियोजनाओं द्वारा अनुरक्षण एवं परिचालन मद में व्ययों को स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा। इसी क्रम में निगम की समस्त परियोजनाओं पर भुगतान की प्रक्रिया में एकरूपता लाने हेतु निम्न प्रकिया तत्काल प्रभाव से आदेशित की जाती है :-

1 परियोजनाओं के लेखा कार्यालय में कार्य/क्रय सम्बन्धी बीजक खण्डों से पारित होने के लिये प्राप्त होने तक सर्वप्रथम इसकी प्रविष्ट Priority Register में की जाये।

2 Priority Register दो भागों में बनाया जाये। Priority Register A में ऐसे कार्यो के बीजक रखे जायें जिनका प्रत्येक माह भुगतान किया जाना आवश्यक होता है तथा Priority Register B में शेष कार्य/क्रय सम्बन्धी बीजकों की प्राप्त क्रम में प्रवष्टि की जाये तथा उक्त पंजिकाओं में जिस क्रम पर बीजक अंकित है वह Priority क्रम बीजक पर भी अंकित किया जाये।

3 लेखा एवं भुगतान कार्यालय स्तर से बीजक पारित करने एवं भुगतान सम्बन्धी प्रकिया दो कार्य दिवस में पूर्ण कर चेक निर्गत किये जायें। इस निर्धारित अवधि के उपरान्त भुगतान किये गये बीजकों के सादृश्य भुगतानों के विलम्ब के सम्बन्ध में मासिक रिपोर्ट परियोजना लेखा प्रमुख द्वारा अगले माह की 5 तारीख तक कारण सहित भेजना सुनिश्चित किया जाये।

4 प्रत्येक माह में अनुरक्षण एवं परिचालन मद में 2 किश्तों में निर्गत की जाने वाली राशि निर्धारित है। परियोजना प्रमुख द्वारा अपनी परियोजना की स्थिति का विश्लेषण कर कार्यालय ज्ञाप कर दिया जाये कि इसमें से कितनी राशि का प्रयोग Priority Register A किया जाना है तथा शेष राशि Priority Register B के बीजकों के भुगतान हेतु प्रयोग की जायेगी।

5 लेखा एवं भुगतान इकाई में सभी बीजक Priority क्रम में ही रखे जायेंगे तथा मुख्यालय से निधि निर्गमन पर बीजको का भुगतान Priority Order में ही किया जायेगा। इसमें समान्यतः कोई विचलन नहीं किया जायेगा।

6 अपवाद स्वरूप यदि परियोजना के कार्य हित में यदि किसी का भुगतान क्रम तोडकर किया जाना है तो इसके लिये परियोजना प्रमुख द्वारा Priority Order अतिक्रमित करने का कारण दर्शित करते हुये प्राथमिकता पर भुगतान करने हेतु कारण सहित आदेश किया जायेगा। परियोजना प्रमुख द्वारा इस शक्ति का प्रयोग अपवाद स्वरूप एवं अति-आवश्यक स्थिति में ही किया जायेगा।

7 लेखा एवं भुगतान इकाई के प्रमुख का यह दायित्व होगा कि ऐसे अपवाद स्वरूप किये गये आदेशों की सूची अनुमोदन की प्रतियों सहित प्रत्येक 15 दिन पर अर्थात दिनांक 1 से 15 तक की सूची माह की 20 तारीख तक तथा दिनांक 16 से माह के अन्त तक की सूची अगले माह की 5 तारीख तक मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) को प्रेषित की जाये, मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) इसे अध्यक्ष एव प्रबन्ध निदेशक से Seen करायेंगे।

8 वित्तीय वर्ष 2010-11 में पारित जो बीजक भुगतान हेतु लेखा एवं भुगतान इकाई में लम्बित हैं, उनको पारित करने की तिथि के क्रम में सर्वप्रथम उक्त Priority Registers में प्रविष्टि करते हुए प्राथमिकता क्रमांक (Priority No.) बिल पर भी अंकित किया जायेगा।

9. इसके साथ ही परियोजनाओं पर भुगतान हेतु अपनायी जा रही परियोजनाओं प्रमुखों द्वारा FR करने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी जाय। वर्तमान में जो FR निर्गत हैं किन्तु भुगतान नहीं हुआ है ऐसी FR भी निरस्त समझी जायें।

10. दिनांक 01.04.2010 से पूर्व की Liabilities के लिये भुगतान मांग भेजी जाये, उनकी धनराशि पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी।

इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 318/उ0नि0लि0/मु0म0प्र0(वित्त) तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के स्टाफ अधिकारी, उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी) के स्टाफ अधिकारी, उ0नि0लि0, लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/तापीय परिचालन/ईंधन/वाणिज्य/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/आर0एण्ड एम0/मानव संसाधन, उ0नि0लि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (स्तर I/II), अनपरा/ओबरा/पारीक्षा/पनकी/हरदुआगंज तापीय परियोजना, उ0नि0लि0, अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/पनकी (कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ)।
5. महाप्रबन्धक (लेखा), उ0नि0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/उप मुख्यलेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीक्षा/पनकी/हरदुआगंज तापीय परियोजना, उ0नि0लि0, अनपरा/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/पनकी (कानपुर)/कासिमपुर (अलीगढ़)।
7. मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्धन इकाई), उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(ए0 के0 अग्रवाल)
मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)